न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:–56 / 2017 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्या:–2017 / 00173

राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सवाई माधोपुर

उनवान

1. श्रीमती रश्मि अग्रवाल धर्म पत्नि श्री सन्तोष अग्रवाल आयु 44 साल जाति महाजन निवासी सीलौती पुरा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0।

अपीलान्ट।

बनाम

1. रामू पुत्र कल्याण प्रसाद आयु 56 साल
2. कमलेश पुत्र रामु आयु 32 साल
3. मु. चन्दा पुत्री रामू धर्म पत्नि राजेन्द्र आयु 34 साल
4. मु रीना पुत्री रामू धर्म पत्नि निकेश आयु 31 साल
5. मु गुडडी पुत्री रामू धर्म पत्नि प्रदीप आयु 29 साल
6. ऊषा पुत्री कल्याण धर्मपत्नि शम्भूदयाल आयु 54 साल

समस्त जातियान महाजन निवासी शाहगंज हिण्डौन हाल निवासी 602 अमृत नगर अक्षर अर्पाटमेन्ट के पास लक्ष्मीपुरा रोड बडौदा (गुजरात)

7. तहसीलदार हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली
8. शकुन्तला बेवा दिलीप आयु 47 साल
9. शिवम पुत्र दिलीप आयु 27 साल

जाति– महाजन, निवासी–शाहगज हिण्डौन हाल निवारी 602 अमृत नगर अक्षर अपार्टमेन्ट के पास लक्ष्मीपुरा रोड बडौदा (गुजरात)

रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:–

1. श्री पी0 सी0 गोयल अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री बनवारी लाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 6 तथा रेस्पो0 सं0 8 व 9 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
4. पैरोकार सरकार उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

—:: निर्णय ::—

दिनांक 30.11.2022

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड हिण्डौन सिटी जिला करौली में दीयर राजस्व वाद संख्या 154/11 बउनवान शकुन्तला बनाम रामू वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2016 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद धारा 88,188 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरुद्व इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 4624 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4625 रकबा 0.45 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डौन मे स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण के पूर्वज मृतक कल्याण प्रसाद के नाम दर्ज रिकार्ड थी। कल्याण प्रसाद की मृत्यु के बाद राजस्व अधिकारी ने बिना जांच पड़ताल के ही प्रतिवादी नम्बर 01 का 1/3, प्रतिवादी नम्बर 06 का 1/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 05 व वादीगण नम्बर 01 का 1/3 हिस्से का नामान्तरण खोला गया, जो कि विधि के विपरीत है। इसमें वादी नम्बर 02 का नाम हजफ कर दिया गया। प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 05, प्रतिवादी नम्बर 01 के पुत्र व पुत्रियां है। अतः विवादित आराजीयात के वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 01 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 06 का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावें। तथा प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 05 का नाम हजफ किया जावें। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09.03.2016 को विवादित आराजीयात मे रामू पुत्र कल्याण प्रसाद का 1/3, उषा पुत्री कल्याण प्रसाद का 1/3 , शकुन्तला बेवा दिलीप व शिवम् पुत्र दिलीप का 1/3 हिस्से का खातेदारी काश्तकार घोषित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की हैं।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो० नं० 1 रामू पुत्र कल्याण रेस्पों न0 6 ऊषा पुत्री कल्याण के हक में कल्याण की मृत्यु पश्चात् नामान्तकरण नम्बरी 3058 खुल जाने पर उनके नाम खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2067 से 70 में इन्द्राज दर्ज हो गये तथा उक्त दानो रस्पो० के नाम कल्याण की विरासत का जो नामान्तकरण खुला वह बिल्कुल सही व मुताबिक कानून था। जिसे रस्पों० न० 8 व 9 द्वारा चेलेन्ज भी नहीं किया गया, इस दौरान रेस्पा० न० 1 व 6 द्वारा अपने खातेदारी व हिस्से की भूमि 2/3 को अपीलान्ट को दिनांक 05.09.2011 को जरिये पंजीकृत वयनामा विक्रय [illegible] नामान्तकरण नम्बरी 3911 दिनाक 03.10.2011 को तस्दीक किया जाकर उसके खाते [illegible] इन्द्राज अपीलान्टस के नाम दर्ज हो गया। व जमाबन्दी सवत 2067 [illegible] गया। और उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

खसरा न0 4624 व 4625 व कुल किता 2 व कुल रकवा 90 ऐयर स्थित कस्बा हिण्डौन के 2/3 हिस्से की अपीलान्ट खातेदार हो गये, मगर मातहत अदालत ने उपरोक्त समस्त राजस्व रिकॉर्ड को इग्नोर करते हुए व निर्णय व डिक्री जारी किया है। रेस्पोडेन्ट नं0 8 व 9 जो कि मूल दावे के वादीगण रहे है, इन्होने रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नं0 1 रामू व रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नं0 6 उषा के उपरोक्त आराजीयात खसरा न0 4624 व 4625 में उनके 2/3 हिस्से को कहीं चैलेन्ज नही किया है, और ना ही उनके मृतक कल्याण प्रसाद के वारिस होने पर कोई आक्षेप उठाया है, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर व उपरोक्त रेस्पो0 न० 1 व 6 द्वारा अपने हिस्से को अपीलान्ट को विक्रय करने में उनके हिस्से की खातेदारी मुताबिक विक्रय अपीलान्ट के हक में राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के तथ्य को व राजस्व रिकार्ड को अनदेखा कर पुन उपरोक्त आराजीयात मे रेस्पा० नं० 1 व 6 को खातेदार घोषित करने का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी हिण्ड़ौन सिटी के मुकदमा नम्बर 154/11 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2016 अपास्त फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने को इस्तदुआ की गई।

6. प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपील हाजा के रेस्पो0 नम्बर 08 व 09 है, ने वरवक्त दायरी दावा अपीलान्ट को दावा हाजा में पक्षकार नही बनाया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नम्बर 01 रामू व प्रतिवादी/रेस्पो0 नम्बर 06 श्रीमती उषा प्रत्येक का 1/3 हिस्सा अर्थात् 2/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर लिया था, इसलिये अपीलान्ट उक्त प्रकरण से सीधे रूप से प्रभावित है, व प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था, मगर वादीगण/रेस्पोडेन्ट नम्बर 08, 09 को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होते हुए भी उन्होने प्रकरण हाजा में अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया इसलिये उक्त आदेश व डिक्री दिनांक 09.03.2016 की अपीलान्ट को जानकारी होते ही उसकी अपील अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय हाजा मे पेश की।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:49 IST
Reason: SelfAttested

7. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का उल्लेख करते हुए कथन किया कि अदालत मातहत उपखण्ड़ हिण्डौन सिटी के आदेश दिनांक 09.03.2016 के द्वारा हित प्रभावित हो रहे है। अपीलांट को अदालत मातहत ने पक्षकार नही बनाया गया और सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि के हित व अधिकार निहित है। इसलिए पार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

8 अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

9. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

10. अधिवक्ता अपीलांट ने मुख्य बहस में अपील मीमो का दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व रेस्पोडेन्ट संख्या 06 के हक में नामान्तरण संख्या 3058 बिलकुल सही खुला था,जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 08 ने चेलेन्ज नही किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 06 के हिस्से की 2/3 भूमि को अपीलांट को दिनांक 05.02.11 पंजीकृत वयनामा से विक्रय कर दिया, और नामान्तरण संख्या 3911 दिनांक 03.10.11 से जमाबंदी संख्या 2067–70 में अमल भी हो गया। परन्तु मातहत अदालत द्वारा इस तथ्य को नही देखा गया। मातहत अदालत द्वारा पुनः इस विक्रयशुदा आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट 01 व 06 को खातेदार घोषित कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 08 व 09 बदयान्ती से अपीलांट को दावा हाजामें पक्षकार नही बनाया गया। रेस्पोडेन्ट 08 व 09 के 1/3 आराजीयात के हिस्से को अपीलांट द्वारा वय जरिए पंजीकृत वयनामा 29.05.2017 से खरीद कर लिया है। इस प्रकार विवादित संपूर्ण आराजीयात का अपीलांट एक मात्र खातेदार काबिज [illegible] कोई दखल नही है। अतः अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी हिण्डौन सिटी [illegible] रेस्पोडेन्ट 01 व 06 की हद तक निरस्त फरमाई जावें, एवम् अपील [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

11. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से कथन किया गया कि अदालत मातहत द्वारा सही रूप से दावा डिक्री किया गया है। अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

12. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

13. जमाबंदी संवत् 2063–66 वाके ग्राम हिण्डौन जिला करौली के आराजी खसरा नम्बर 4624 रकबा 0.45 है0, 4625 रकबा 0.45 है0 कल्याण प्रसाद पुत्र नारायणलाल जाति महाजन के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 में विवादित आराजीयात रामू पुत्र कल्याण 1/3 उषा पुत्री कल्याण, कमलेश पुत्र दिलीप, चन्दा, रीना, गुड़िया पुत्री दिलीप, शकुन्तला बेवा दिलीप हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। परन्तु जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर है कि कमलेश, चन्दा, रीना , गुड़िया मृतक दिलीप के जिन्दा वारिस है। परन्तु अदालत मातहत मे प्रस्तुत वाद पत्र मुकदमा नम्बर 154/11 में कमलेश, चन्दा, रीना, गुड्डी उर्फ गूड़िया के पिता का नाम रामू अंकित है।

14. अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के साथ प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 3911 दिनांक 03.10.11 के अनुसार रामू पुत्र कल्याण हिस्सा 1/3 उषा पुत्री कल्याण हिस्सा 1/3 का नामान्तकरण रश्मि अग्रवाल हिस्सा 2/3 नाम तस्दीक किया गया। उपर्युक्त जमाबन्दी एवं वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट नही हो पा रहा कि प्रतिवादीगण नम्बर 02,03,04 व 05 रामू के जायन्दा औलाद है या मृतक दिलीप के साथ ही अपीलान्ट नम्बर 2 शिवम क्या वास्तव में मृतक दिलीप का पुत्र है? इस बाबत् पत्रावली पर कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है। नामान्तकरण व वाद पत्र के उनवान के अनुसार क्या रामू पुत्र कल्याण विरासत से प्राप्त विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से के विक्रय करने का विधिक अधिकार है? ये तथ्य अदालत मातहत मे साक्ष्य से ही तय हो सकेंगे।

15. अदालत मातहत के रिकार्ड के अवलोकन मे जाहिर आया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में बिना तनकी कायम किये ओर बिना दस्तावेजी साक्ष्य विवेचन के ही निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

16. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के आलौच्य आदेश दिनांक 09.03.2016 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि निम्न तनकियात कायम करते हुए अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः नये सिरे से निम्न बिन्दुओं पर विचार करते हुये निर्णय पारित करें–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

(1) आया प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 05 रामू के जायन्दा औलाद है या मृतक दिलीप के ?

(2) आया बिन्दु संख्या 01 के आधार पर क्या रामू/शकुन्तला को विरासत से प्राप्त विवादित आराजीयात के 1/3 सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय करने का अधिकार है अथवा नही ?

उभयपक्षकारान दिनांक 30.12.2022 को अदालत मातहत में सुनवाई हेतु उपस्थित रहें। पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 30.11.22 को सुनाया गया।

30.11.22

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

1. श्रीमती रश्मि अग्रवाल धर्म पत्नि श्री सन्तोष अग्रवाल आयु 41 साल जाति महाजन निवासी सीलौती पुरा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0।

अपीलान्ट।

बनाम

1. रामू पुत्र कल्याण प्रसाद आयु 56 साल
2. कमलेश पुत्र रामु आयु 32 साल
3. मु. चन्दा पुत्री रामू धर्म पत्नि राजेन्द्र आयु 34 साल
4. मु रीना पुत्री रामू धर्म पत्नि निकेश आयु 31 साल
5. मु गुडडी पुत्री रामू धर्म पत्नि प्रदीप आयु 29 साल
6. ऊषा पुत्री कल्याण धर्मपत्नि शम्भूदयाल आयु 54 साल

समस्त जातियान महाजन निवासी शाहगंज हिण्डौन हाल निवासी 602 अमृत नगर अक्षर अर्पाटमेन्ट के पास लक्ष्मीपुरा रोड बडौदा (गुजरात)

7. तहसीलदार हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली
8. शकुन्तला बेवा दिलीप आयु 47 साल
9. शिवम पुत्र दिलीप आयु 27 साल

जाति– महाजन, निवासी–शाहगज हिण्डौन हाल निवासी 602 अमृत नगर अक्षर अपार्टमेन्ट के पास लक्ष्मीपुरा रोड बडौदा (गुजरात)

रेस्पोडेन्टस्।

(धारा 223 आर.टी.एक्ट)
दिनांक 30.11.2022

अपील संख्या 56/2017
जी.सी.एम.एस संख्या 2017/00173
अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

यह अपील व तारीख 30.11.2022 रूबरू हमारे व हाजरी श्री पी0 सी0 गोयल अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री बनवारी लाल व पैरोकार सरकार एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2016 न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी को अपास्त कर अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, निर्णय में अंकित बिंदुओं की विवेचना करते हुए, नए सिरे से पुनः निर्णय पारित करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 30.11.2022 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:49 IST
Reason: SelfAttested

30.11.22
राजस्व अपील अधिकारी व मुहर
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

मुहर